न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 120/2012

अपीलांट–
देवाराम पुत्र कानाराम जाति माली निवासी प्रतापजी की प्रोल बाड़मेर (राजस्थान)

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. जसराज पुत्र लूणाराम
2. सीतादेवी पत्नी लूणाराम
3. रतनलाल पुत्र लूणाराम जाति दर्जी निवासी बाड़मेर मगरा पटवार क्षेत्र बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर
4. रिड़मलराम पुत्र कानाराम जाति माली निवासी शास्त्री नगर बाड़मेर
5. किशोर पुत्र गोमाराम
6. स्वरूप पुत्र गोमाराम जाति दर्जी निवासी दर्जियों का निचला बास, बाड़मेर
7. हंजारीराम पुत्र हुकमाराम जाति दर्जी निवासी पीपाजी के मंदिर के पास, बाड़मेर के कायम मुकाम बांकाराम पुत्र हंजारीराम दर्जी
8. अध्यक्ष, पीपाजी क्षत्रिय समाज, पीपाजी मंदिर के पास, बाड़मेर
9. तहसीलदार बाड़मेर

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 16.11.2006 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा नेखमबंदी प्रकरण सं. 50/2006 अनवान जसराज वगैरह बनाम रिड़मल वगैरह मे पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री पवन सिंघल, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री पुरूषोतम सोलंकी, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1से3 की ओर से उपस्थित।
3. श्री हुकमसिंह चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4 की ओर से उपस्थित।
4. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट सं. 9 की ओर से उपस्थित।
5. अवशेष रेस्पोडेंट बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

निर्णय

दिनांक : 27 / 08 / 2019

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा नेखमबंदी प्रकरण सं. 50 / 2006 अनवान जसराज वगैरह बनाम रिड़मल वगैरह मे पारित आदेश दिनांक 16.11.2006 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि रेस्पोडेंट सं. 1 से 3 जसराज व अन्य द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष एक नेखमबंदी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा बाड़मेर मगरा के खसरा नम्बर 2589 / 720 रकबा 12–00 बीघा, खसरा नम्बर 2590 / 720 रकबा 06–02 बीघा एवं खसरा नम्बर 2591 / 720 रकबा 12–00 बीघा कुल रकबा 30–02 बीघा भूमि की पक्की नेखमबन्दी करने का निवेदन किया गया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर वर्तमान अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं. 4 से 8 को सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर बाद सुनवाई आदेश दिनांक 16.11.2006 के द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नेखमबन्दी आदेश भू–अभिलेख निरीक्षक हाथीतला को जारी किया। अपीलांट ने इस आदेश से व्यथित होकर यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.05.2012 को प्रस्तुत की हैं तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश के द्वारा नेखमबंदी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने मे भारी कानूनी एवं वाक्याती भूल की हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों पर गौर किए बिना ही आदेश पारित किया हैं, इस आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य हैं। अपीलांट की खातेदारी की भूमि में से करीबन 4 जरीब यानि 1 / 2 बीघा भूमि पर रेस्पोडेंट्स द्वारा गलत रूप से नेखमबन्दी करवाने का आदेश पारित

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

करवा दिया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर आई इस महत्वपूर्ण साक्ष्य का सही विवेचन नही किया इस आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य हैं। इसके अलावा अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि रेस्पो0 हंजारीराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 01.12.2006 प्रस्तुत कर आक्षेप किया गया था कि धारा 111, 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, के तहत नेखमबन्दी प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही हेतु तहसीलदार को क्षेत्राधिकार नही हैं तथा इस आधार पर आदेश दिनांक 01.12.2006 को उक्त प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर को कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि तहसीलदार बाड़मेर को उक्त नेखमबन्दी प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करने का कोई क्षेत्राधिकार नही था। उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 31.01.2007 के द्वारा प्रकरण पुनः तहसीलदार बाड़मेर को भेजकर दोनो पक्षों की सुनवाई के पश्चात नेखमबन्दी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया। इस पर तहसीलदार द्वारा न तो उपखण्ड अधिकारी के आदेश के अनुपालन मे अपीलांट को तलब किया और न ही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा मयाद के बिन्दु पर निवेदन किया कि हाल ही मे जब खातेदारी के खेत खसरा संख्या 730 पर 4 जरीब पर रेस्पोडेंट सं. 1से3 द्वारा निर्माण कार्य शुरू करवाने पर अपीलांट ने जब उन्हे ऐसा करने से रोका तो उन्होने बताया कि उनके पक्ष मे नेखबंदी का आदेश हो गया हैं। इसकी जानकारी होने पर अपीलांट ने उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन किया तथा प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी तथा इससे पहले अपीलांट को उक्त आदेश की कोई जानकारी नहीं थी। इस कारण अपील पेश करने मे हुई देरी का न्यायोचित कारण है जिसे स्वीकार कर अपील अन्दर मयाद शुमार कर उल्लेखित आधार पर स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

6. रेस्पोडेंट्स सं. 1से3 के योग्य अधिवक्तागण ने प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिकथनों एवं तथ्यों पर सुनवाई उपरांत अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.11.2006 के द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्धारित शुल्क जमा करने पर नेखमबंदी करने हेतु भू–अभिलेख

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

निरीक्षक हाथीतला को आदेशित किया गया। अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को प्रारम्भ से ही जानकारी थी तथा इस आदेश के पश्चात अपीलांट के द्वारा यह अपील करीब 6 वर्ष की लम्बी विलम्ब समयावधि पश्चात प्रस्तुत की गई हैं जो कतई स्वीकार योग्य नही हैं। मयाद अधिनियम के बाध्यकारी प्रावधानों के अनुसार पक्षकार को विलम्ब के शमन हेतु प्रतिदिन के विलम्ब का स्पष्ट एवं ठोस कारण प्रकट करना आवश्यक हैं जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे दिया गया कारण कतई विश्वास योग्य एवं तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता हैं, लिहाजा अपीलांट की यह अपील मयाद के बिन्दु पर स्वीकार योग्य नही होने से खारिज फरमाई जावें।

7. रेस्पोडेंट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि रेस्पोडेंट सं. 1से3 ने अपनी स्वंय की खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाने हेतु तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमे तहसीलदार बाड़मेर द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारान को नोटिस एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया हैं। रेस्पोडेंट को अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाने का पूर्ण अधिकार हैं तथा भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर भूमि की पैमाईश एवं पक्के नेखम स्थापित करने के दौरान किसी भी पडौसी द्वारा कोई आपत्ति पेश नही होना मौका रिपोर्ट मे अंकित किया हैं, ऐसे मे अपीलांट द्वारा इस अपील के जरिये इतनी लम्बी समयावधि गुजर जाने के बाद की गई आपत्ति सारहीन एवं आधारहीन होने से यह अपील खारिज फरमाई जावें।

8. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान के द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि रेस्पोडेंट सं. 1से3 ने अपीनी खातेदारी भूमि मौजा बाड़मेर मगरा के खसरा नम्बर 2589/720 रकबा 12–00 बीघा, खसरा नम्बर 2590/720 रकबा 06–02 बीघा एवं खसरा नम्बर 2591/720 रकबा 12–00 बीघा कुल रकबा 30–02 बीघा भूमि की पक्की नेखमबन्दी करने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर दोनो पक्षों की सुनवाई उपरांत निर्णय दिनांक 16.11.2006 के द्वारा स्वीकार कर मौके पर पक्के नेखम स्थापित करने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा यह अपील करीब 6 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा विलम्ब का कारण प्रकट किया हैं कि इस आदेश की उसे प्रारम्भ मे जानकारी नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर की पत्रावली का अवलोकन से यह स्पष्ट हैं कि अपीलांट की तलबी हेतु

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

जारी नोटिस स्वंय से तामील हुआ हैं तथा अपीलाधीन आदेश जारी की दिनांक 16.11.2006 को अपीलांट जरिये अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित रहा हैं ऐसे मे यह कतई नहीं माना जा सकता हैं कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय जारी हुआ हों जिसकी जानकारी अपीलांट को नही हैं। इसके अलावा भू–अभिलेख निरीक्षक हाथीतला द्वारा की गई नेखमबन्दी कार्यवाही अनुसार मौके पर पैमाईश के समय किसी भी पडौसी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नही की गई। इस प्रकार यदि अपीलांट को पैमाईश के संबंध मे किसी प्रकार की आपत्ति थी तो उसे तत्समय ही मौके पर प्रकट कर अपना समाधान करवाना चाहिए था। लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील प्रथम तो मयाद के बिन्दु पर अत्यन्त विलम्ब से पेश होने से स्वीकार योग्य नही है, द्वितीय मेरीट पर भी बलहीन होने से खारिज योग्य हैं।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने एवं मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।

10. आदेश आज दिनांक 27.08.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(राकेश कुमार शर्मा)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)